भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1
7 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ
सहकारी समितियों के संबंध में कानून

1. श्री ए.ए. रहीम:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सहकारी समितियों के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार करने हेतु कानून लाने का विचार है;

(ख) चूंकि सहकारिता राज्य का विषय है, जिसे संविधान की सूची II अनुसूची VII में शामिल किया गया है तो क्या प्रस्तावित कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध होगा; और

(ग) क्या सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुरूप उप-नियम प्रस्तावित हैं, यदि हां, तो क्या वे आदर्श उप-नियम राज्य अधिनियमों के विरूद्ध होंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों में सहकारी समिति अधिनियम में विशेष प्रावधान हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं है, वे सातवीं अनुसूची की सूची I- संघ सूची, प्रविष्टि 44 और संविधान के भाग 9ख द्वारा शासित होती हैं । ऐसी सहकारी समितियां, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रशासित होती हैं । सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने और बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोत्तरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, आदि लाने की दृष्टि से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए सरकार कानून लाना चाहती है ।

(ग): सहकारी समितियों का प्रशासन और व्यावसायिक कार्यकलाप उनकी संबंधित उपविधियों द्वारा शासित होता हैं । प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) की व्यवहार्यता में वृद्धि और उनके व्यावसायिक कार्यकलापों का विविधीकरण करके उन्हें ग्रामीण स्तर पर एक जीवंत आर्थिक संस्थान बनाने के लिए बहुउद्देशीय PACS का प्रारूप मॉडल उपविधियां तैयार करने हेतु नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), आदि से प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया गया था । प्रारूप मॉडल

उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नाबार्ड, नैशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लि. (NAFSCOB), राज्य सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, आदि को उनके सुझावों/इनपुट के लिए परिचालित किया गया था । सभी हितधारकों से 1500 से भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें मॉडल उपविधियों में यथोचित रूप से समाविष्ट कर दिया गया है । प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों की ये मॉडल उपविधियां उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में समर्थ करती है जिसमें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केन्द्र, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य दुकान, सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, आदि शामिल हैं । जैसा कि ऊपर बताया गया है, मॉडल उपविधियों का विकास राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य सभी हितधारकों के साथ किए गए गहन परामर्श की प्रक्रिया के पश्चात् किया गया । मॉडल उपविधियां सांकेतिक प्रकृति की हैं और संबंधित प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उनमें यथोचित संशोधन करके उन्हें अपना सकती हैं।

*****